न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 82/2017 अपील

1. रतनलाल पिता सुरजा मीणा निवासी विजेठा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
1. श्रीमती आयोध्या उर्फ पार्वती पत्नी रतनलाल मीणा निवासी विजेठा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. कल्याणमल पिता गिरधारी मीणा निवासी विजेठा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956
अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार जहाजपुर प्रकरण सं. 09/2016
दिनांक 21.03.2017

उपस्थित –
1. श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री जे.सी. विजयवर्गीय अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.02.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 225 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें प्रकरण सं. 09/2016 दिनांक 21.03.2017 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 21.03.2017 को स्वीकार फरमा अपीलार्थीगण के विरूद्व निर्णय पारित किया जो तथ्यों एवं विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व जवाब का समुचित अवलोकन नहीं किया । अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट दोनों ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, जिससे भी 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं । रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया कि अपीलार्थीगण द्वारा किस दिशा में अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.03.2012 , 30.05.2012 व 04.04.2014 को तैयार मौका रिपोर्ट का भी समुचित अवलोकन नही किया । अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं की क्रयशुदा भूमि पर ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं । पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2015 को अपीलार्थीगण के विरूद्व निर्णय पारित कर दिया । जिससे व्यथित होकर न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी अपील प्रस्तुत की गयी, जिसकी अपील प्रकरण सं. 59/2015 हैं जो दिनांक 01.07.2017 को अपीलार्थीगण के पक्ष में स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के निर्णय को अपास्त कर तहसीलदार जहाजपुर को

निर्देशित किया गया कि पक्षकारान के मध्य कब्जे के संबंध में विवाद होने से प्रकरण पुनः मौके की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण सं. 9/2016 को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अपीलार्थीगण द्वारा नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से व अपीलार्थीगण की ओर से अधिकार पत्र व जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अपीलार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी । अपीलार्थीया पार्वती पत्नी रतनलाल के द्वारा भी प्रत्यर्थी कल्याणमल के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा हैं । जिसके प्रकरण सं. 170/2012 है। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं । अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2017 को पारित निर्णय अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 01.05.2017 को पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व जवाब का समुचित अवलोकन नहीं किया । अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट दोनों ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, जिससे भी 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं । रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया कि अपीलार्थीगण द्वारा किस दिशा में अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.03.2012 , 30.05.2012 व 04.04.2014 को तैयार मौका रिपोर्ट का भी समुचित अवलोकन नही किया । अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं की क्रयशुदा भूमि पर ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं । अपीलार्थीगण द्वारा नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से व अपीलार्थीगण की ओर से अधिकार पत्र व जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अपीलार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी । अपीलार्थीया पार्वती पत्नी रतनलाल के द्वारा भी प्रत्यर्थी कल्याणमल के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा हैं । जिसके प्रकरण सं. 170/2012 है। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं । निवेदन हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2017 को पारित निर्णय अपास्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम बिजेठा तहसील जहाजपुर के आ.नं. 1430/1353 रकबा 6.17 बीघा भूमि का रेस्पोडेण्ट खातेदार होकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हैं । अपीलार्थी की पत्नी पार्वती को मौके पर 4 बीघा भूमि पर कब्जा होना प्रमाणित होने से तहसीलदार जहाजपुर ने आर.टी.ए. 183 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये दिनांक 21.03.2017 को निर्णय पारित किया हैं, जो नियमानुसार हैं । अपीलार्थी की अपील खारिज करायी जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । जिसके उपरान्त यह पाया कि न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 02/2012 उनवान कल्याणमल मीणा बनाम रतनलाल मीणा वगैरह अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.ए. दिनांक 22.09.2015 में निर्णय पारित किया । इस निर्णय की अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर

भीलवाडा में रतनलाल पिता सुरजा मीणा वगैरह द्वारा प्रस्तुत की गयी । जिसके प्रकरण सं. 59/2015 दर्ज होकर दिनांक 01.07.2016 को अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 02/2012 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2015 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार जहाजपुर को निर्देश दिये गये हैं , कि पक्षकारान् के मध्य मौके पर कब्जे के संबंध में विवाद होने से प्रकरण में पुनः मौके की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे । इस निर्णय के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 09/2016 पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्षकारान की सुनवाई की गयी । कल्याणमल पुत्र गिरधारी मीणा निवासी बिजेठा की खातेदारी भूमि ग्राम बिजेठा आराजी सं. 1430/1353 रकबा 6.17 बीघा भूमि में से 04 बीघा भूमि पर रतनलाल पिता सुरजा मीणा एवं पार्वती पत्नी रतनलाल मीणा निवासी बिजेठा का कब्जा होने से अतिक्रमी घोषित करते हुये बेदखल करने के आदेश दिनांक 21.03.2017 को पारित किये गये । श्री रतनलाल पिता सुरजा मीणा , श्रीमती अयोध्या उर्फ पार्वती पत्नी रतनलाल मीणा निवासी बिजेठा तहसीलदार जहाजपुर द्वारा तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 09/2016 निर्णय दिनांक 21.03.2017 की अपील दिनांक 28.04.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौके की जांच अनुसार ग्राम बिजेठा के आराजी नं. 1430/1353 रकबा 6.17 बीघा भूमि श्री कल्याण पिता गिरधारी मीणा के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड हैं । मौके पर आराजी नं. 1430/1353 रकबा 6.17 बीघा भूमि में से 04 बीघा भूमि पर पार्वती पत्नी रतनलाल मीणा निवासी बिजेठा का कब्जा होना पाये जाने से श्री रतनलाल , श्रीमती अयोध्या उर्फ पार्वती मीणा को धारा 183 बी आर.टी.ए. के अंतर्गत अतिक्रमी घोषित करते हुये बेदखली करने के आदेश दिनांक 21.03.2017 को पारित किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रतीत नहीं होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 225 के अन्तर्गत सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती हैं । तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 09/2016 में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2017 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार जहाजपुर को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

26/2/18

(एल.आर.गुर्गरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा